Print

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/112343/BAL/BALLIA/377/CFO
दिनांक: 21-03-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स MBGD ACADEMY (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता 117,SHAH MUHAMMADPUR,BALLIA तहसील - RASRA, प्लाट एरिया 1978.99 sq.mt , कुल कवर्ड एरिया 1233.92 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
MBGD ACADEMY	2	0	8.53 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स MBGD ACADEMY द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्सम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 31-03-2024 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री CHANDRAPAL YADAV के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रकरणत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता लिये 31-03-2024 से 31-03-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्तें के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन से नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स MBGD ACADEMY अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स MBGD ACADEMY अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : 1- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में रखा जायेगा ।
2- निकास मार्ग अवरोध मुक्त रखना अनिवार्य है ।
3- भवन के सेट बैक एरिया में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाना निषिद्ध होगा ।
4- सेट बैक एरिया में बने रैम्प को भविष्य में अवरोध मुक्त रखा जाना अनिवार्य होगा ।
5- प्रत्येक 06 माह पर मॉक ड्रिल कराया जाना अनिवार्य है और सुरक्षा मानकों की अवहेलना करने पर आप स्वयं उत्तरदायी/जिम्मेदार होगें, सक्षम एजेन्सी /फायर इंजीनियर से वार्षिक फायर आडिड कराकर कराते हुये रिकार्ड विभाग को प्रेषित करें
6- शासनादेश सं0:- 2030/छः-पु0-8-2019-801 (31)/2015 दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 के सुरक्षा प्रावधानों का अक्षरशः से पालन किया जायेगा

<u>यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों ,सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।</u>

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)

Digitally Signed By
(DHIRENDRA SINGH YADAV)
[E40AD6B11A9463925D43213A3571C8D042BB408E]
31-03-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 31-03-2024
स्थान : BALLIA